न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार, मीणा आर.ए.एस

प्रकरण नं :– 246/2013

दायरा दिनांक :– 11.10.2013

1- मनीराम
2- शंकर
3- सहबराम
4- बनवारी

पिसरान बीरबल अकवाम बिश्नोई साकिन भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगानगर।

वादीगण

बनाम

1. हजारी पुत्र पेमा जाति बिश्नोई साकिन भोपालपुरा (तर्क दिनांक 22.072020)
2. रामप्रताप पुत्र रामरख
3. रिछपाल (फौत) पुत्र रामरख जरिये वारिस

3/1 गुडडी पत्नी रिछपाल
3/2 कुन्ता पुत्री रिछपाल
3/3 निहाल पुत्र रिछपाल
3/4 सुभाष पुत्र रिछपाल
4. देवीलाल पुत्र रामरख
5. भुपराम पुत्र रामरख
6. किरसन पुत्र रामरख
7. सीताराम पुत्र रामरख
8. निरमा पुत्री रामरख
9. गोगा पुत्री रामरख
10. राजीव पुत्र पिरथी
11. विमला पुत्री पिरथी

अकवाम बिश्नोई साकिनान भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

12. पोपा देवी पत्नी रामरख (फौत) जरिये वारिस प्रतिवादी न. 2 ता 11
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ
14. उप पजीयंक सूरतगढ
15. काशीराम
16. रामराय
17. दयाराम

पुत्रगण स्व रामप्यारी(माता) व हजारीराम (पिता) जाति बिश्नोई साकिन 3 बी पी एम भोपालपुरा

18. सरस्वती पुत्री श्रीमति रामप्यारी (माता) व हजारी राम(पिता) पत्नी डुगरराम जाति बिश्नोई निवासी काकडवाला तहसील लुणकरनसर
19. रामस्नेही पुत्री रामप्यारी(माता) व हजारीराम (पिता) पत्नी रामनारायण पुनियां जाति बिश्नोई साकिन रायसिहनगर जिला श्रीगगांनगर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209 आरटीए 1955

–: उपस्थित :–

1. श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट – वादी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई एडवोकेट – प्रतिवादी न. 1 ता 11, 15 ता 19
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार – प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:03:54 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :–04.08.2020

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

लगातार पेज न. 2 पर

वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही भोपालपुरा के खसरा न. 78 में 38.13 बीघा व खसरा न. 136 में 47.01 बीघा व खसरा न. 161 में 1.18 बीघा इस प्रकार कुल 79.12 बीघा रकबा में 1/2 हिस्सा वादीगण के दादा प्रेमाराम पुत्र हरदास शेष 1/2 हिस्सा रामरख वल्द छोगा के नाम खातेदारी था। प्रेमाराम के तीन पुत्र बीरबल – भागीरथ – हजारी थे व एक पुत्री रूकमा थी। पेमा व उसके पुत्र भागीरथ के फौत हो जाने के बाद यह रकबा राजश्री बीकानेर के समक्ष सम्वत् 2042 से पूर्व ही वादीगण के पिता बीरबल व उसके भाई हजारी प्रतिवादी न. 1 व रामप्यारी बेवा भागीरथ के नाम 1/2 हिस्सा में 1/3, 1/3 दर्ज हुआ व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से काफी अरसा पूर्व ही रामप्यारी ने प्रतिवादी न. 1 हजारी के साथ दूसरी शादी (करेवा) कर लिया था जो बिश्नोई समाज की एक परम्परा है व हजारी के नुत्फे नाते से मु. रामप्यारी के काशीराम – रामराय– दयाराम व सुरसती – रामस्नेही प्रतिवादी न. 15 ता 19 पैदा हुये जिसकी बड़ी सन्तान काशीराम की उम्र दावा दर्ज के समय सन् 2013 में 63 वर्ष की हो चुकी थी इससे यह पूर्णतया सिद्व होता है कि रामप्यारी ने पुर्न विवाह अपने सगे देवर हजारी से बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के लागू रहते राजश्री बीकानेर के समय कर लिया था। उसका इस रकबा पर से पुराने हिन्दु विधी के अनुसार व बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार इस रकबा पर से रामप्यारी के हक समाप्त हो गये थे रामप्यारी को अपने पूर्व पति भागीरथ से जो सम्पति प्राप्त हुई थी उस पर उसे पुरानी हिन्दु विधी के अनुसार व बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार विधवा रहते भी सीमित अधिकार ही प्राप्त हुये थे तथा जैसे ही रामप्यारी ने हजारी से पुर्नविवाह (शादी) कर ली उसी समय भागीरथ से प्राप्त हुई भूमि मे से रामप्यारी के हक समाप्त हो गये थे व यह भूमि पेमा के दोनो पुत्र मृतक भागीरथ के सगे भाई बीरबल व हजारी 1/2, 1/2 मे आयद हो गये व इसी अनुसार ही मौका पर वादीगण एंव प्रतिवादी न. 1 का उक्त तमाम भूमि में 1/2, 1/2 हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त है। रोही भोपालपुरा के उक्त रकबा से चक बन्दी के दौरान चक 3सीएम का पत्थर न. 44/339 के किला न. 16– 17–23 ता 25 में 1.265 हैक. व पत्थर न. 44/47 के किला न. 12–13–15 ता 25 में 3.289 हैक. व पत्थर न. 44/55 के किला न. 20/2, 21/2, 22–23 में 0.962 हैक. व पत्थर न. 44/48 के किला न. 1 ता 14 में 3.542 हैक. व पत्थर न. 44/40 के किला न. 3 ता 7, 14–15 में 1.771 हैक. व पत्थर न. 45/33 के किला न. 4–5 में 0.506 हैक. कुल 12.297 हैक. व चक 2 डी ओ 'बी' के पत्थर न. 25/34 के किला न. 11–20–21 में 0.759 हैक. व पत्थर न. 25/26 के किला न. 5–6–13 ता 18, 22 ता 25 में 0.759 हैक. व पत्थर न. 25/26 के किला न. 5–6–13 ता 18, 22 ता 25 में 3.036 हैक. व पत्थर न. 25/27 के किला न. 2 ता 10, 12 ता 15, 18 में 3.542 हैक. व पत्थर न. 25/35 के किला न. 1–10 में 0.506 हैक. व पत्थर न. 25/28 का किला न. 3/0.253 हैक. कुल 8.096 हैक. रकबा मुताबिक रिकॉर्ड पैमूद हुआ। पत्थर न. 25/28 का किला न. 3/0.253 हैक. रकबा वादीगण के पिता बीरबल को 1955 के पूर्व के रकबा से पैमूद हुआ है। प्रथम जमाबन्दी से लेकर आज तक यह रकबा इसी खाता में चला आ रहा है। इसलिये यह किला न. 3 का 0.253 हैक. इस खाते में से कलमजन योग्य है जिसके बाबत वादीगण अन्य दावा पेश करेगे। इन तीनो खसरो में पूर्व में 79.12 बीघा रकबा था व चकबन्दी मे दोनो चको में 80.12 बीघा रकबा दिखाया है इस प्रकार कुल 20.393 हैक. यानि 80.12 बीघा रकबा पैमूद जमाबन्दी अनुसार दर्ज है व इन दोनो चको के दोनो खातो मे रामप्यारी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा शामिल खाते में से कलमजन कर इस रकबा में से 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 हजारी के नाम दर्ज होने योग्य है। इसके अलावा वादीगण के पिता बीरबल के फौत होने के बाद बीरबल के हिस्सा का रकबा वादीगण चारो के नाम से दर्ज हुआ है, परन्तु चालू जमाबन्दी में मनीराम – शकर – साहबराम पिसरान बीरबल 2.039 हैक. के स्थान पर मनीराम – शकर – साहबराम – बनवारी पिसरान बीरबल 2.049 हैक. किया जावे व इस खाते में रामप्यारी बेवा भागीरथ के नाम की 2.050 हैक. व चक 2 डीओ 'बी' की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 64/59 में रामप्यारी बेवा भागीरथ के नाम 1.350 हैक. रकबा इस प्रकार दोनो चको की 3.400 हैक. [illegible] वादी न. 1 ता 4 को ब.हि. बराबर का खातेदार घोषित किया जावे व शेष 1/2 हिस्सा [illegible] को खातेदार कृषक

लगातार पेज न. 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:03:54 IST
Reason: SelfAttested

घोषित किया जावे इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे व खाता विभाजन किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी न. 1 ता 14 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी न. 14 को विधी सम्मत् तरीके से तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नही होने पर दिनाक 18.02.2014 को उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई व प्रार्थीगण ने दिनाक 05.08.2014 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेशकर निवेदन किया कि इस दावा में जमाबन्दी में अकिंत तमाम काश्तकारो को पक्षकार बना लिया था परन्तु रामप्यारी एंव हजारी के नुत्फे नाते से उत्पन सन्तानो ने रामप्यारी पत्नी भागीरथ के नाम की भूमि की घोषणा प्रत्येक ने अपने नाम से दिनाक 13.05.2014 को इस दावा के जैरकार रहते हुये एक अन्य वाद पत्र सख्या 55/14 बअनवान काशीराम बनाम हजारी इसी न्यायालय में दर्ज कर दिनाक 13.05.2014 को रामप्यारी पत्नी हजारी के वारिस काशीराम वगैरा ने अपने नाम से विधी विरूद्व तरीके से डिकी करवा ली है, इसलिये उन्हे इस न्यायालय ने दिनाक 13.11.2014 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 स्वीकार किया जाकर रामप्यारी पत्नी हजारी के वारिसो को इस न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा बनाया जाना उचित समझा व वादीगण को ससोधित वाद पत्र पेश करने का आदेश दिया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की और से ससोधित वाद पत्र प्रस्तुत हुआ व ससोधित वाद पत्र में वादीगण ने पूर्व वाद के अलावा निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित रामप्यारी बेवा भागीरथ के अकंन का लाभ उठाकर रामप्यारी के फौत हो जाने के बाद वादीगण को वाद सख्या 55/14 बअनवान काशीराम वगैरा हजारीराम में पक्षकार बनाये बिना दिनाक 13.05.2014 को रामप्यारी बेवा भागीरथ के नाम की भूमि रामप्यारी पत्नी हजारी के वारिस प्रतिवादी न. 15 ता 19 ने अपने नाम निर्णय व डिकी दिनाक 13.05.2014 में अपने नाम दर्ज करवाने की घोषणा करवाई है। इस डिकी में वादीगण पक्षकार ना होने से यह वादी के हको पर निष्प्रभावी घोषित किया जाकर रामप्यारी बेवा भागीरथ का उक्त दोनो चको का रकबा वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी न. 1 के नाम 1/2 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित की डिकी जारी करने का निवेदन किया व मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन का निवेदन किया व वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 व 15 ता 19 के खिलाफ किसी तरह की दखलदाजी ना करने का भी निवेदन किया। वादीगण द्वारा ससोधित वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे दिनाक 16.01.2015 को शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी न. 1, 3/1, 3/3, 3/4, 2, 4 ता 7, 8 ता 9, 15 ता 19 ने इकबाल जवाब दावा दिनाक 07.01.2020 को पेश किया व प्रतिवादी न. 11 बावजूद सूचना हाजिर नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई व प्रतिवादी सख्या 3/2, 10 व 14 को आने का अवसर देने के उपरान्त भी जवाब दावा पेश नही किया इसलिये उनका जवाब दावा दिनाक 07.01.2020 को बन्द किया व प्रतिवादी न. 13 सरकार की और से जवाब प्रस्तुत हुआ है। दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न से तनकीयात कायम की गई

1. आया जैरवाद भूमि दोनो चको (2 डी.ओ. व 3 सी एम) में भागीरथ पुत्र पेमा के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा उनके स्वर्गवास के बाद रामप्यारी के नाम विरास्तन दर्ज हुआ व रामप्यारी द्वारा दिनांक 15.10.1955 से पूर्व ही पुर्नःविवाह कर लेने से रामप्यारी का हक समाप्त हो गया ? वादीगण
2. आया तनकी न. 1 की पालना में रामप्यारी के नाम जैरवाद दोनो चको की भूमि स्व. भागीरथ के दोनो भाई वादीगण के पिता स्व. बीरबल व प्रतिवादी न. 1 हजारीराम दोनो 1/2, 1/2 हिस्सा क वारिस हुये व रामप्यारी का नाम कलमजन होने योग्य है ? वादीगण
3. आया जैरप्रकरण भूमि चक 2 डी ओ भूमि जमाबन्दी सवत 2068 ता 71 के खाता सख्या 64/59 मनीराम वगैरा में स्व. रामप्यारी के नाम दर्ज 1.350 हैक रकबा व चक 3 सी एम की जमाबन्दी सवत 2067 ता 70 के खाता सख्या 42/1764 मनीराम वगैरा में स्व. रामप्यारी के नाम 2.050 हैक रकबा मे से नाम कलमजन कर वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर व शेष 1/2 प्रतिवादी न. 1 हजारी के नाम पूर्व में उनके नाम दर्ज रकबा में जोडा जावे ? वादीगण
4. आया इस अदालत द्वारा पारित डिक्री व निर्णय वाद सख्यां 56/2014 बअनवान काशीराम बनाम हजारी में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2014 में वादी [illegible] पक्षकार नही होने व एक पक्षीय पारित होने से इस जैरवाद पर भूमि पर उसका प्रभाव [illegible] किसी पक्षकार पर लागू नही होगी ? वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:03:54 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न. 4 पर

अन्य अनुतोष...................?

तनकीयात कायम होने के बाद साक्ष्यवादी में पीडब्लयू 1 बनवारीलाल व पीडब्लयू 2 बलवन्त पुत्र शिवराज का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ व प्रतिवादीगण द्वारा इनकी जिरह की गई तथा प्रतिवादीगण अपने साक्ष्य प्रस्तुत ना करने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाकर पत्रावली बहस हेतु नियम की गई वरवक्त बहस वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी न. 1 फौत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी न. 15 ता 19 पहले से ही पत्रावली में मौजूद है इसलिये प्रतिवादी न. 1 का नाम दिनाक 22.07.2020 को तर्क किया गया ।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादीगण ने संशोधित वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये वाद डिकी करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वाद डिकी करने में अपनी सहमति प्रकट की। वादीगण ने कानूनी नजीर आरआरडी 2007 पेज 736 व आरएलडब्लयू 2010 पेज 671 व बीकानेर रेयतदारी एक्ट 1945 में एक विधवा महिला द्वारा पुनः विवाह कर लेने से उनके अधिकार समाप्त हो जाते है, के बाबत कानून प्रस्तुत किया।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया जिनका तनकीवार निम्नानुसार निर्णय किया जाता है।

तनकी न. :– 1

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने खतौनी बन्दोबस्त राजश्री बीकानेर सम्वत् 2005 मौजा भोपालपुरा जागीर महाजन की प्रमाणित प्रति पेश की, जिसमें पेमा व उसके पुत्र भागीरथ के फौत हो जाने के पश्चात् रकबा बीरबल–हजारी के नाम 1/3,1/3 हिस्सा व शेष 1/3 हिस्सा भागीरथ के हिस्सा का रकबा रामप्यारी बेवा भागीरथ के नाम दर्ज हुआ है व भागीरथ के फौत होने के पश्चात् रामप्यारी ने हिन्दु उतराधिकार व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले द्वितीय शादी भागीरथ के ही छोटे भाई हजारी से कर ली थी । रामप्यारी व हजारी के नुत्फे नाते से प्रतिवादी न. 15 ता 19 पैदा हुये है। जिसमें प्रतिवादी न. 15 काशीराम की उम्र दावा में दर्ज होने के दिन सन् 2013 में 63 वर्ष से उपर थी व वादीगण ने सूरतगढ़ विधानसभा सन् 1971 की वोटर लिस्ट पेश की जिसमें काशीराम पुत्र हजारीराम की उम्र 26 वर्ष थी इससे यह साबित है कि काशीराम का जन्म 1945 के लगभग हुआ है इसलिये यह साबित हो रहा है कि रामप्यारी ने इससे पहले ही हजारी से पुर्नविवाह (शादी)कर ली थी व एक्त रेयतदारी राजश्री बीकानेर सन् 1945 के धारा 22 उप (ख) के अनुसार विधवा को दूसरा विवाह न करने तक पुर्व पति की सम्पति मे उसे सीमित अधिकार मिलेगा व 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिये किराये पर नही दे सकेगी और विधवा के द्वारा पुर्नः विवाह कर लेने के पश्चात् मौरूसी भूमि ऐसे मृतक के पुर्वज पुरूष वंशजो (भाईया) में चली जायेगी, जो मरने वाले से सातवी पीढ़ी तक के उसके पुरूष बान्धवो को चली जायेगी। इसलिये जैरप्रकरण रकबा रामप्यारी द्वारा हजारी से पुर्नः विवाह करते ही रामप्यारी का इस रकबा से हक समाप्त हो गया था और यह भूमि उसी समय भागीरथ के सगे भाई बीरबल व हजारी में चली जायेगी। चुकि इस प्रकरण में दोनो पक्ष यह स्वीकार कर रहे है कि रामप्यारी ने अपने जीवनकाल में राजस्थान काश्तकारी कानून व उतराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले ही रामप्यारी बेवा भागीरथ ने पुर्नः विवाह हजारी से कर लिया था तथा उक्त तमाम रकबा वादीगण जो बीरबल के वारिस है, के कब्जा काश्त में 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा का कब्जा काश्त प्रतिवादी न. 1 हजारी के कब्जा काश्त मे है। इस बाबत वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद भी नही है इसलिये इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है और रामप्यारी पत्नी स्व भागीरथ का नाम कलमजन किया जाना उचित है।

तनकी न. :– 2 व 3

इन तनकीयात को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी न. 1 में यह स्पष्ट हो गया है कि चक 3 सीएम व चक 2 डीवो 'बी' के जैरवाद रकबा मे से रामप्यारी बेवा भागीरथ का हक उसके पुर्नः विवाह से समाप्त हो चुके है तो रामप्यारी बेवा भागीरथ के नाम का रकबा भागीरथ के सगे भाई बीरबल के वारिस वर्तमान में वादी न. 1 ता 4 को 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 हजारी राम को प्राप्त होगा। चुकि प्रकरण मे अब हजारीराम फौत हो चुका है इसलिये रामप्यारी

लगातार पेज न. 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:03:54 IST
Reason: SelfAttested

बेवा भागीरथ के नाम के रकबा में से 1/2 हिस्सा हजारीराम के वारिस प्रतिवादी न. 15 ता 19 को प्राप्त होगा व इसी अनुसार चक 3 सीएम की जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता न. 42/1764 के 12.297 हैक. रकबा में दर्ज रामप्यारी बेवा भागीरथ के नाम के 2.050 हैक. व चक 2 डीओ 'बी' की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 64/59 के 8.096 हैक. रकबा में रामप्यारी पत्नी स्व. भागीरथ के नाम के 1.350 हैक. रकबा के लिये वादी न. 1 ता 4 को सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किये जाते है तथा 1/2 हिस्सा का हजारी के वारिस प्रतिवादी न. 15 ता 19 को खातेदार कृषक घोषित किये जाते है। इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

तनकी न. :– 4

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। पूर्व में इसी न्यायालय के वाद सख्या 56/14 बअनवान काशीराम बनाम हजारी में पारित निर्णय एवं डिकी 13.05.2014 में भागीरथ के सगे भाई बीरबल के वारिसो को पक्षकार नही बनाया था व आर एल डब्ल्यू 2010 पेज न. 671 के अनुसार बिना हितबद्व पक्षकार के पारित निर्णय वादीगण को प्रभावित नही करेगा तथा भागीरथ की बैवा रामप्यारी ने जब पुर्न विवाह ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 से पहले कर लिया है तो विधवा द्वारा पुर्नविवाह कर लेने से उसके पूर्व पति की भूमि उसके पूर्व पति के पूरूष वशों यानी उसके भाईयो मे बीकानेर टेन्नेसी एक्ट 1945 के अनुसार वह भूमि चली जाती है। इसलिए रामप्यारी बैवा भागीरथ के नाम का रकबा रामप्यारी के हजारी से पुर्न विवाह करते ही कानुनन भागीरथ के सगे भाई बीरबल व हजारी को 1/2, 1/2 हिस्सा मे मिलेगा, ना कि रामप्यारी के नये पति हजारी की सन्तानो को मिलेगा। चुकि बीरबल के वारिस वादीगण जिनको पूर्व वाद सख्या 56/2014 बअनवान काशीराम बनाम हजारी में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2014 में सभी हितबद्व काश्तकार पक्षकार नही थे इसलिए यह निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.05.2014 में रामप्यारी बैवा भागीरथ के हिस्से तक का निर्णय व डिक्री प्रभाव शुन्य है तथा यह किसी भी पक्षकार पर लागु नही होगी।

अन्य अनुतोष :–

अन्य अनुतोष मे चक 3 सी एम की जमाबन्दी सवत 2067 ता 70 में बीरबल के वारीसो में से बनवारी लाल का नाम सहबन से अकिंत नही है इसलिए मनीराम , शकरं, साहबराम पिसरान बीरबलराम 2.049 हैक के स्थान पर मनीराम, साहबराम, शंकर, बनवारी पिसरान बीरबल 2.049 हैक बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे व वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद खर्च अपना–अपना वहन करेगे तथा चक 2 डी ओ बी के पत्थर न. 25/28 के किला न. 3/0.253 हैक रकबा का अलग से दावा प्रस्तुत करने के लिए वादीगण स्वतंत्र है व वादीगण एंव प्रतिवादीगण धारा 53 आर टी ए के अनुतोष के लिए अलग से दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वंतत्र होगे।

इस प्रकार वादीगण ने तनकी न 1 ता 4 को पुर्णतया साबित कर दिया है इसलिये वाद वादीगण स्वीकार करना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 3 सी एम की जमाबन्दी सवत 2067 ता 70 के खाता सख्या 42/1764 के 12.297 हैक रकबा में दर्ज रामप्यारी पत्नी भागीरथ के नाम के 2.050 हैक खातेदारी रकबा मे व चक 2 डी ओ बी कि जमाबन्दी सवंत 2068 ता 71 के खाता सख्या 64/59 के 8.096 हैक. रकबा में रामप्यारी पत्नी स्व. भागीरथ के 1.350 हैक खातेदारी रकबा मे वादीगण सख्या 1 ता 4 को 1/2 हिस्सा में बहिस्सा बराबर खातेदार व शेष 1/2 हिस्सा के रकबा में प्रतिवादी न 1 के फौत हो जाने से उसके जायज वारिस प्रतिवादी न. 15 ता 19 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक 3 सी एम की उक्त जमाबन्दी में पहले से दर्ज मनीराम, शंकर, साहबराम पिसरान बीरबल बहिस्सा बराबर 2.049 हेक रकबा के स्थान पर दुरस्ती की जाकर मनीराम, शकर, साहबराम, बनवारी पिसरान बीरबल 2.049 हैक दर्ज किया जावे तथा इसीनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:03:54 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
सूरतगढ़।

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार, मीणा आर.ए.एस

प्रकरण नं :– 246/2013 दायरा दिनांक :– 11.10.2013

1. मनीराम
2. शंकर
3. सहबराम
4. बनवारी

} पिसरान बीरबल अकवाम बिश्नोई साकिन भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगानगर।

– वादीगण

बनाम

1. हजारी पुत्र पेमा जाति बिश्नोई साकिन भोपालपुरा (तर्क दिनांक 22.072020)
2. रामप्रताप पुत्र रामरख
3. रिछपाल (फौत) पुत्र रामरख जरिये वारिस
   3/1 गुडडी पत्नी रिछपाल
   3/2 कुन्ता पुत्री रिछपाल
   3/3 निहाल पुत्र रिछपाल
   3/4 सुभाष पुत्र रिछपाल
4. देवीलाल पुत्र रामरख
5. भुपराम पुत्र रामरख
6. किरसन पुत्र रामरख
7. सीताराम पुत्र रामरख
8. निरमा पुत्री रामरख
9. गोगा पुत्री रामरख
10. राजीव पुत्र पिरथी
11. विमला पुत्री पिरथी

} अकवाम बिश्नोई साकिनान भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

12. पोपा देवी पत्नी रामरख (फौत) जरिये वारिस प्रतिवादी न. 2 ता 11
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
14. उप पजीयंक सूरतगढ।
15. काशीराम
16. रामराय
17. दयाराम

} पुत्रगण स्व रामप्यारी(माता) व हजारीराम (पिता) जाति बिश्नोई साकिन 3 बी पी एम भोपालपुरा

18. सरस्वती पुत्री श्रीमति रामप्यारी (माता) व हजारी राम(पिता) पत्नी डुगरराम जाति बिश्नोई निवासी काकडवाला तहसील लुणकरनसर
19. रामस्नेही पुत्री रामप्यारी (माता) व हजारीराम (पिता) पत्नी रामनारायण पुनियां जाति बिश्नोई साकिन रायसिहनगर जिला श्रीगगांनगर

– प्रतिवादीगण

अर्तगत धारा 88, 188, 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 246 वर्ष 2013 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री शिशपाल शर्मा व वकील प्रतिवादी न. 1 ता 11, 15 ता 19 श्री भागीरथ बिश्नोई व पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 3 सी एम की जमाबन्दी सवत 2067 ता 70 के खाता सख्या 42/1764 के 12.297 हैक रकबा में दर्ज रामप्यारी पत्नी भागीरथ के नाम के 2.050 हैक खातेदारी रकबा मे व चक 2 डी ओ बी कि जमाबन्दी सवंत 2068 ता 71 के खाता सख्या 64/59 के 8.096 हैक. रकबा में से रामप्यारी पत्नी स्व. भागीरथ के 1.350 हैक खातेदारी रकबा मे वादीगण सख्या 1 ता 4 को 1/2 हिस्सा में बहिस्सा बराबर खातेदार व शेष 1/2 हिस्सा के रकबा में प्रतिवादी न 1 के फौत हो जाने से उसके जायज वारिस प्रतिवादी न. 15 ता 19 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक 3 सी एम की उक्त जमाबन्दी में पहले से दर्ज मनीराम, शंकर, साहबराम पिसरान बीरबल बहिस्सा बराबर 2.049 हेक रकबा के स्थान पर दुरस्ती की जाकर मनीराम, शकर, साहबराम, बनवारी पिसरान बीरबल 2.049 हैक दर्ज किया जावे तथा इसीनुसार तहसीलदार सूरतगढ को राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बाबत........कस्दों की पालना.........आज नोज.........मुबलिग...........बाबत..........की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04.08.20[illegible] को [illegible] की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:03:54 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ।